ऑन लाईन नं. RCMS 2025/88

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 23/2025

1. सन्तोष पुत्री जगदीश प्रसाद जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 4, सूरतगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर। अपीलार्थिया

बनाम

1. श्रीमान उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।
2. श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ।
3. वीना स्वामी पत्नी जगमाल निवासी–गांव हरदासवाली तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता अपीलार्थी श्री अमित स्वामी।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्री विनोद स्वामी
3. विभागीय प्रतिनिधि नवनीत कौर बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ।

अपील विरूद्ध बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ के आदेश को निरस्त किया कर प्रार्थीया का चयन करने के सम्बन्ध में।

:: आदेश :: दिनांक : 30.07.2025

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि राजस्थान सरकार उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के क्रमांक आं. बा. स्था./2024 / दिनांक ..... 11. 2024 विज्ञप्ति संख्या 02/2024 के क्रम में प्रार्थीया ने वार्ड नम्बर 4 सूरतगढ के आंगनबाड़ी केन्द्र 4–III में सहायिका पद हेतु आवेदन किया था।
2. यह कि बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ द्वारा संशोधित चयन आदेश क्रमांक 1558 दिनांक 05.03.2025 में अप्रार्थीया संख्या–3 के दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये तथा बिना जांच किये व प्रार्थीया को बिना सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थीया संख्या–3 का चयन कर दिया गया जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न अपील है।
3. यह कि प्रार्थीया के परिवार के समस्त दस्तावेज वार्ड नम्बर 4 के बने हुए हैं तथा अप्रार्थीया संख्या–3 वार्ड नम्बर 4 सूरतगढ की रहने वाली नही है जो कि अप्रार्थीया गांव हरदासवाली में परिवार सहित निवास करती है तथा वार्ड नम्बर 4 सूरतगढ़ में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीया संख्या 3 का केवल मात्र खाली प्लाट मे एक कमरा बना हुआ है इसके अलावा कुछ भी बना हुआ नही है ।

4. यह कि दिनांक 04.11.2024 को वार्ड नम्बर 4 सहायिका के फार्म भरे जा रहे थे तभी अप्रार्थीया संख्या-3 ने आवेदन किया था जो इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अप्रार्थीया संख्या-3 वार्ड नम्बर-4 सूरतगढ़ की रहने वाली नही है जिसकी जांच रिपोर्ट फोटो प्रति संलग्न अपील है।

5. यह कि विज्ञप्ति संख्या 2 के नियम शर्तो के कॉलम संख्या 1 मे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवेदनकर्ता महिला का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है तथा विज्ञप्ति कमांक संख्या-6 में आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने का घोषणा पत्र दिया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीया संख्या-3 न तो वहां की स्थानीय निवासी है और वार्ड नम्बर-4 सूरतगढ़ में तथाकथित निवास करना बताया है उसमें शौचालय बना हुआ नही है। ऐसी स्थिति में भी चयन निरस्ती योग्य है।

6. यह कि प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है और गरीब परिवार तथा बीपीएल महिला है जिसके अंक भी जोडे नही गए है जो भारी भूल है।

7. यह कि प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेष भाव से नियम विरूद्ध राजनैतिक प्रभाव तथा बिना दस्तावेज की जॉच तथा अप्रार्थीया के निवास से संबंधित बिना जॉच किये अप्रार्थीया संख्या-3 का चयन किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

8. यह कि प्रार्थीया को आदेश की प्रति दिनांक 02.05.2025 को प्राप्त हुई है जो बिना देरी के प्रार्थीया ने श्रीमान जी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है।

9. यह कि अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः अपील श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि चयन आदेश को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किये जाने का आदेश जारी फरमाया जावे। श्रीमान जी की कृपा होगी।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ ने अपने जवाब पत्र कमांक 234 दिनांक 27.05.2025 प्रस्तुत कर निम्नानुसार अंकन किया।

1. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 02/2024 में संतोष पुत्री जगदीश प्रसाद द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नं 4-।।। हेतु आवेदन किया गया था।
2. उपखण्ड स्तरीय चयन कमेटी द्वारा उक्त केन्द्र में प्राप्त समस्त आवेदनों के दस्तावेज जांच किये गये एंव नगरपालिका एंव चुनाव शाखा सूरतगढ़ से सत्यापन के पश्चात् चयन आदेश जारी किये गये थे।
3. संतोष एंव चैना स्वामी दोनो के द्वारा ही वार्ड के निवासी होने के दो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। जो कि चयन परिपत्र के अनुसार वांछनीय है।

दिनांक 27.05.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किये गये मौका मुयाने में चैना स्वामी के निवास स्थान में पाया गया कि प्लॉट में तीन कमरें व रसोई बनी हुई थी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हालांकि घर में प्रयोग होने वाली अधिकांश घरेलू सामग्री यथा बैड, अलमारी, मेज, वस्त्र आदि अनुपलब्ध थें। जिससे प्रतीत होता है कि वर्तमान में चैना स्वामी उक्त निवास स्थान पर निवासरत नही है एंव चैना स्वामी मौके पर उपस्थित नहीं थी।

4. विज्ञप्ति संख्या 01/2024 में भी चैना स्वामी द्वारा आवेदन किया गया था एंव वार्ड के दो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे हालांकि कार्यकर्ता एंव वार्ड पार्षद की रिपोर्ट अनुसार स्थानीय निवासी नहीं होने पर वार्ड की भर्ती को निरस्त कर दिया गया था।
5. चैना स्वामी आवेदन कर्ता द्वारा शौचालय होने एंव नियमित उपयोग होने का घोषण पत्र आवेदन के साथ कार्यलय में प्रस्तुत किया गया था। उक्त अपील की प्रति कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 27.05.2025 को चैना स्वामी के निवास स्थान पर उपस्थित होकर शौचालय का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें पाया गया कि मौजूदा शौचालय में लौहे की चदर की छत, बिना फ्लस वाली शौचालय सीट लगी हुई थी एंव शौचालय में पानी फिटिंग नही थी। इससे इतर नवीन शौचालय निर्माणाधीन था जिसमें आज दिनांक तक केवल चारदिवारी का निर्माण किया गया है।
6. अपीलार्थीया संतोष को अनुसूचित जाति के चयन परिपत्र के अनुसार 3 अंक दिये गये है। चयन परिपत्र अनुसार बीपीएल के अंक अलग से देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्रीमान जी उक्त मौका गुयाने की बिन्दुवार रिर्पोट एंव मय फोटो साथ सलंग्न कर रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

अपीलार्थीया की ओर से अधिवक्ता अपीलार्थीया ने लिखित बहस निम्नानुसार प्रस्तुत किः–

1. यह है कि प्रार्थीया ने अपील मे तथ्य घटाये, बढाए तथा छुपाये नही है। क्लीन हैंड से अपील पेश है।
2. यह है कि अपील के पैरा सख्या–02 सही व सत्य लिखा गया है। दस्तावेजो का अवलोकन विभाग द्वारा नहीं किया गया।
3. यह है कि अपील के पैरा संख्या–03 की पुष्टि विभाग के जवाब के पैरा संख्या–03 दिनांक 27.05.2025 से मौके पर उपस्थित नही थी कि पुष्टि को चुकी है। चैना स्वामी स्थाई निवासी उक्त वार्ड की नहीं है, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। पैरा संख्या –3 सही व सत्य है।
4. यह है कि अपील के पैरा संख्या–04 भी सही व सत्य होना विभाग की जाँच रिपोर्ट व जवाब के पैरा संख्या–04 की पुष्टि करता है।
5. यह है कि अपील के पैरा संख्या–05 सही व सत्य है। शौचालय चैना स्वामी के घर में बना हुआ नहीं था अपील के बाद शौचालय निर्माण कियां गया व लोहे की चद्र आदि रखी हुई थी जिसकी पुष्टि विभाग की जाँच रिपोर्ट में हो चुकी है तथा विभाग के जवाब के पैरा संख्या–05 इसकी पुष्टि करता है।

अतः लिखित बहस पेश है। अपील स्वीकार की जावे। श्रीमान जी की मेहरबानी होगी।

रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस निम्नानुसार प्रस्तुत किः–

1. यह कि बाल विकास परियोजन अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा संशोधित चयन आदेश कमांक 1558 दिनांक 05.03.2025 में प्रार्थीया का चयन तमाम दस्तावेजों की जांच एवं तथ्यों का अवलोकन करन के पश्चात् किया गया था। प्रार्थीया/परिवादिया संतोष द्वारा मुख्य रूप से इस अपील में आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि प्रार्थीया सूरतगढ़ में निवास नहीं

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

करती है एवं निवास स्थान पर शौचालय नहीं बना हुआ है जबकि प्रार्थीया वार्ड नं. 04 सूरतगढ़, में स्थाई रूप से निवास करती है एवं समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, मूल निवास इसी निवास स्थान के बने हुए है। जोकि संलग्न जवाब अपील है। 15 वर्ष पूर्व का एक कमरा एवं शौचालय बना हुआ था, जो आज भी मौजूद है। अब उक्त निवास स्थान पर तीन कमरे, रसोई, लेट–बाथ, बने हुए हैं जिसमें से दो कमरे एवं रसोई एवं लेट–बाथ नये बने हुए हैं जो ढाई–तीन वर्ष पुराने हैं। वर्तमान में लेट–बाथ को लिपाई–पोताई कर तैयार करवाया गया है।

2. यह कि परिवादिया संतोष द्वारा कहा गया है कि प्रार्थीया के 04.11.2024 के आवेदन को विभाग द्वारा खारिज किया गया था जबकि दिनांक 04.11.2024 को कोई आवेदन नहीं हुए थे ना ही विभाग द्वारा इस तारीख को कोई विज्ञप्ति जारी की गई थी जबकि आवेदन दिनांक 21.11.2024 से 20.12.2024 तक भरे गये थे। पूर्व विज्ञप्ति अप्रेल–2024 में सीडीपीओ ऑफिस सूरतगढ़ द्वारा मन प्रार्थीया के घर के सर्वे का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ना ही घर का सर्वे किया गया था जो रिपोर्ट दी गई थी वह अन्य कारणों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गलत तथ्यों के आधार पर बनाई गई थी। दिनांक 18.02.2025 को अधीशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा निवास सत्यापन की रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें प्रार्थीया को वार्ड नं. 04, की निवासी बताया गया है। उक्त जांच में शौचालय भी बना हुआ पाया गया था एवं उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थीया जब–जब बीमार रही है एवं सिजेरियन डिलिवरी के समय देखभाल करने वाला कोई नही होता था तथा प्रार्थीया के पति को भी रोजगार के लिए काम पर जाना होता है उस समय देखभाल हेतु मजबूरन सास के पास जाना पड़ता था।

3. यह कि जांच कर्ताओं ने पूर्व में जांच के समय प्रार्थीया को पात्र माना था, अब जांच अधिकारियों द्वारा अलग–अलग बात की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग सूरतगढ़ ने अपील में अपनी रिपोर्ट में भी मात्र आशंका जाहिर की है कि शायद प्रार्थीया यहां नहीं रहती है।

4. यह कि प्रार्थीया का चयन पूरी जांच एवं पारदर्शिता से किया गया है, जबकि परिवादिया संतोष राजनीतिक एवं द्वेष भावना से प्रेरित होकर अनर्गल आरोप लगा रही है। वार्ड पार्षद भागीरथ नायक परिवादिया संतोष का रिश्तेदार है, जिसके द्वारा बैक डेट में अपने कार्यकाल के अंतिम दिवस में प्रमाण पत्र बनाकर परिवादिया संतोष की अनैतिक तरीके से मदद की गई है वार्ड पार्षद द्वारा अप्रेल 2023 में प्रार्थीया के आधार कार्ड में स्थाई निवासी सूरतगढ़ की रिपोर्ट की गई थी। प्रार्थीया विवाहित है एवं वार्ड नं. 04, सूरतगढ़ प्रार्थीया का स्थाई निवास है जबकि परिवादिया संतोष अविवाहित है इसलिए परिवादिया को शादी के उपरांत उक्त अपना निवास छोड़कर जाना ही है।

5. यह कि परिवादिया संतोष द्वारा समय सीमा में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई ना ही चयन आदेश की प्रति मांगी गई। चयन आदेश की प्रति मांगे जाने पर विभाग द्वारा तुरन्त उपलब्ध करवाई जाती है, मियाद अवधि के बाहर होने के कारण अपील परिवादिया खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह कि परिवादिया संतोष प्रतिभागी है जोकि साम–दाम–दंड–भेद से किसी भी तरह से चयन होना चाहती है इसलिए गलत तथ्यों के आधार पर राजनैतिक एवं द्वेष भावना के कारण प्रार्थीया का चयन निरस्त करवाना चाहती है जबकि प्रार्थीया पूरी तरह से उक्त सहायिका के पद के लिए पात्र हैं।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के चयन के आदेश क्रमांक 1558 दिनांक 05.03.2025 को बहाल रखा जाकर परिवादिया संतोष की अपील को खारिज फरमाई जावे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 02/2024 में संतोष पुत्री जगदीश प्रसाद द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड न 4–111 हेतु आवेदन किया गया था। उपखण्ड स्तरीय चयन कमेटी द्वारा उक्त समस्त आवेदनों की जांच की गई एवं नगरपालिका एवं चुनाव शाखा सूरतगढ से सत्यापन के पश्चात् चयन आदेश जारी किये गये थे। संतोष एवं चैना स्वामी दोनो के द्वारा ही वार्ड के निवासी होने के दो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। जो कि चयन परिपत्र के अनुसार वांछनीय है। दिनांक 27.05.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किये गये मौका मुआयने में चैना स्वामी के निवास स्थान में पाया गया कि प्लॉट में तीन कमरे व रसोई बनी हुई थी हालांकि घर में प्रयोग होने वाली अधिकांश घरेलू सामग्री यथा बैड, अलमारी, मेज, वस्त्र आदि अनुपलब्ध थें। जिससे प्रतीत होता है कि वर्तमान में चैना स्वामी उक्त निवास स्थान पर निवासरत नही है एंव चैना स्वामी मौके पर उपस्थित नहीं थी। विज्ञप्ति संख्या 01/2024 में भी चैना स्वामी द्वारा आवेदन किया गया था एंव वार्ड के दो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे हालांकि कार्यकर्ता एंव वार्ड पार्षद की रिपोर्ट अनुसार स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण वार्ड की भर्ती को निरस्त कर दिया गया था। चैना स्वामी आवेदनकर्ता द्वारा शौचालय होने एंव नियमित उपयोग होने का घोषणा पत्र आवेदन के साथ कार्यलय में प्रस्तुत किया गया था। उक्त अपील की प्रति कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 27.05.2025 को चैना स्वामी के निवास स्थान पर उपस्थित होकर शौचालय का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें पाया गया कि मौजूदा शौचालय मे लौहे की चदर की छत, बिना प्लस वाली शौचालय सीट लगी हुई थी एंव शौचालय मे पानी फिटिंग नही थी। इससे इतर नवीन शौचालय निर्माणाधीन था जिसमें आज दिनांक तक केवल चारदिवारी का निर्माण किया गया है। आवेदन कर्ता संतोष को अनुसूचित जाति के चयन परिपत्र के अनुसार 3 अंक दिये गये है। चयन परिपत्र अनुसार बीपीएल के अंक अलग से देने का कोई प्रावधान नहीं है। विभागीय प्रपत्र अनुसार नवीन शौचालय दिनांक 27.05.2025 को निर्माणाधीन था जिसमें आज दिनांक तक केवल चारदिवारी का निर्माण किया गया है।

उपनिदेशक महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के पत्रांक दिनांक 12.03.24 विज्ञप्ति सं0 02/2024 के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नं. 4–111 सूरतगढ में सहायिका के रिक्त पदो हेतु आवेदन चाहे गये थे। उपनिदेशक, महिला एवं बाल विभाग विभाग, श्रीगंगानगर ने निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश क्रमांकः प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244 जयपुर 12.01.2023 की पालना में जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदो की विज्ञप्ति दिनांक 16.11.2024 को जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदो हेतु जारी पदो के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभाग के परिपत्र 4244 दिनांक 12.01.2023 में दिये गये निर्देशानुसार चयन किया जाना है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकना किया गया एवं अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तो पाया कि उपखण्ड स्तरीय चयन कमेटी द्वारा उक्त समस्त आवेदनों की जांच एंव नगरपालिका व चुनाव शाखा सूरतगढ से सत्यापन के पश्चात् बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा संशोधित चयन आदेश क्रमांक 1558 दिनांक 05.03.2025 जारी किये गये है। संतोष एंव चैना स्वामी दोनो के द्वारा ही वार्ड के निवासी होने के दो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। जो कि चयन परिपत्र के अनुसार वांछनीय थे। प्रार्थीया संतोष द्वारा मुख्य रूप से इस अपील में आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि प्रार्थीया सूरतगढ़ में निवास नहीं करती है एवं निवास स्थान पर शौचालय नहीं बना हुआ है जबकि प्रार्थीया वार्ड नं. 04 सूरतगढ़, में स्थाई रूप से निवास करती है जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, मूल निवास जो कि वार्ड नम्बर 4 के है जिनकी फोटो प्रतियां पत्रावली में अपने जवाब के साथ सलंग्न की पेश किये है। विभागीय प्रतिनिधि नवदीप कौर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि पूर्व में पुराना शौचालय बना हुआ है जिसमें लौहे की चदर की छत, बिना फ्लस वाली शौचालय सीट लगी हुई है एंव शौचालय में पानी फिटिंग नही थी। इससे अलावा नवीन शौचालय निर्माणाधीन था जिसमें आज दिनांक तक केवल चारदिवारी का निर्माण किया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ की रिपोर्ट दिनांक 27.05.2025 के अनुसार चैना स्वामी रेस्पोडेन्ट संख्या–3 द्वारा विभागीय प्रपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार नवीन शौचालय निर्माणाधीन है जबकि पूर्व अस्थाई रूप से शौचालय बना हुआ है जिसका अपीलार्थीया ने अपने शपथ पत्र में अंकन किया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय न्यायसंगत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। लिहाजा अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner